

15/7/17

पत्रावली प्राप्त शताब्द लोक कदाचित् कम्प
 सेन्चामें पेश हुई। चूंकि मूलवाद जइसे
 शतीनामा विद्वां किया जा चुका है। अब
 इस आविदन में आगामी कार्रवाई इसी
 स्तर पर समाप्त कर न्यायालय द्वारा
 जारी एगन कडिस सं. 435/11 दि
 19.10.11 को निरस्त किया जाता है।
 पत्रावली के सल शुभार होकर साखिल
 प्रपत्र है।

सहायक कलक्टर
 चौहान